रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 940]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2008/आषाढ़ 17, 1930
No. 940]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2008/ASADHA 17, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2008

का.आ. 1634(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस ई आई ए ए), सिक्किम (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण, सिक्किम कहा जाएगा) का गठन करती है जिसमें सिक्किम राज्य सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे, जो निम्नलिखित हैं :—

1. श्री टी. आर. पाउडयाल, —अध्यक्ष, वानिकी और वन्यजीव
सेवानिवृत भा. व. से., पीसीसीएफ एवं सचिव,
वन, पर्यावरण, वन्यजीव और प्रबंधन विभाग,
पी एस रोड, गंगटोक, पूर्व सिक्किम-737101

2. डॉ. मादप प्रसाद थापा, —सदस्य, जीव विज्ञान
प्राणी विज्ञान विभाग,
सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज, ताडोंग,
गंगटोक, सिक्किम-737102

3. श्री सी. ाचुंगपा, भा. व. सेवा, —सदस्य-सचिव
वन संरक्षक,
वन, पर्यावरण और वन्यजीव,
प्रबंधन विभाग,
दियोराली, गंगटोक, सिक्किम-737102

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. सिक्किम, प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी गई हैं ।

4. सिक्किम, प्राधिकरण इस आदेश में सिक्किम सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. सिक्किम राज्य सरकार अभिकरण को प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत आवास सुविधा, परिवहन और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सिक्किम सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार सिक्किम राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, सिक्किम का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा जाएगा) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

1. डॉ. सोनम पलजोर,
   पूर्व प्रधान निदेशक,
   पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा,
   सिक्किम सरकार, राय काटेज के निकट,
   चर्च रोड, एरिथन्स गंगटोक, सिक्किम —अध्यक्ष, जीवन विज्ञान
2. श्री तार शेरिंग लेप्चा,
   सेवानिवृत्त पी सी ई एवं सचिव, पी डब्ल्यू डी,
   सिक्किम सरकार, इनोन ली, फारेस्ट,
   कालोनी के नीचे, अपर सिचय बस्ती,
   पो. ओ. गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101 —सदस्य, परियोजना प्रबंधक
3. श्री पेम्पा दादुल भूटिया, भा. व. सेवा
   इंदिरा बायपास, बोजागढ़ी, डेंलांग —सदस्य वन और वन्यजीव
4. डॉ. देबाशीष सिन्हा,
   पी जी टी (बायो),
   गवर्नमेंट सीनियर सेकेन्ड्री,
   चुजाचीन, ईस्ट सिक्किम-737133 —सदस्य, सदस्य जीवन विज्ञान
5. श्री धर्म प्रकाश डियोकोटा,
   मिडिल सिचय, गंगटोक, सिक्किम-737103 —सदस्य, परियोजना प्रबंधक
6. श्री सी. लाचुंगपा, भा. व. सेवा, वन संरक्षक,
   वन, पर्यावरण और वन्यजीव, प्रबंधन विभाग,
   दियोराली, गंगटोक, सिक्किम-737102 —सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, सिक्किम का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, सिक्किम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में दी है ।

9. एस ई ए सी सिक्किम सामूहिक दायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी । अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. सिक्किम राज्य सरकार, एस ई ए सी सिक्किम के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता सिक्किम राज्य के सरकार द्वारा नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[जे-11013/99/2007-आई ए-II (I)]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक "जी"

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 2008

S.O. 1634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Sikkim (hereinafter referred to as the Authority, Sikkim) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member-Secretary nominated by the State Government of Sikkim as under :—

1. Shri T.R. Poudyal, IFS Retired, PCCF-cum-Secretary, Forests, Environment, Wildlife and Management Department PS Road, Gangtok, East Sikkim-737101 —Chairman, Forestry and Wildlife

2. Dr. Madap Prasad Thapa, Department of Zoology, Sikkim Government College, Tadong, Gangtok-737102 —Member, Life Sciences

3. Shri. C. Lachungpa, IFS Conservator of Forests, Forests, Environment & Wildlife Management Department, Deorali, Gangtok, Sikkim- 737 102 —Member-Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Sikkim shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Sikkim shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Sikkim in this order.

5. The State Government of Sikkim shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Sikkim as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Sikkim, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Sikkim (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :—

1. Dr. Sonam Paljor, Ex Principal Director of Animal Husbandry and Veterinary Services, Government of Sikkim, Near Rai Cottage, Church Road, Arithans, Gangtok, Sikkim —Chairperson, Life Sciences

2. Sh. Tar Tshering Lepcha, Retd. PCE -cum- Secretary, PWD, Government of Sikkim, Aenon Lee, Below Forest Colony, Upper Sichey Busty, P.O. Gangtok, East Sikkim- 737 101 —Member- Project Management

3. Sh. Pempa Dadul Bhutia, IFS, Indira Bypass, Bojoghari, Denlang —Member, Forest and Wildlife

4. Dr. Debasish Sinha, PGT (Bio), Govt. Sr. Sec., Chujachen, East Sikkim- 737 133 —Member, Member Life Sciences

5. Shri Dharma Prakash Deokota, Middle Sichey, Gangtok, Sikkim- 737 103 —Member, Project Management

6. Shri C. Lachungpa, IFS Conservator of Forests, Forests, Environment & Wildlife Management Department, Deorali, Gangtok, Sikkim- 737 102 —Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Sikkim shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Sikkim shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Sikkim shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Sikkim shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Sikkim and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Sikkim as per State rules.

[No. J-11013/99/2007-IA.II (I)]

NALINI BHAT, Scientist "G"

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.